

बिहार सरकार,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

अधिसूचना

पटना-15, दिनांक- 30/06/2011

संख्या-3/स्था0रा0भू0बि-2006/11-**158(3)/रा0**, बिहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिव


के समकक्ष स्तर के पदाधिकारी श्री विरेन्द्र कुमार पासवान, बि0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-1040/08, गृह जिला-जमुई) जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोपलगंज को स्थानान्तरित करते हुए जिला भू-अर्जन, औरंगबाद के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

2. उपर्युक्त पदाधिकारी को भू-अर्जन अधिनियम, 1894 यथा संशोधित 1984 की धारा (3) सी0 के अन्तर्गत बिहार राज्यपाल द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भू-अर्जन अधिनियम की धारा-4-5 ए -6 एवं 35 को छोड़कर जिला भू-अर्जन कार्य हेतु समाहर्ता की शक्ति प्रदत्त की जाती है।

3. उपर्युक्त पदाधिकारी अविलंब अपने पदस्थापन वाले पद पर योगदान देकर नव पदस्थापित पद का प्रभार निश्चित रूप से ग्रहण करेंगे तथा हर हालत में जुलाई, 11 का वेतनादि नव पदस्थापित पद एवं जिला से ही प्राप्त करेंगे।

4. पूर्व की सभी अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझी जायेगी।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(विजय कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 3/स्था0रा0भू0 विविध-2006/11-**158(3)/रा0**, पटना, दिनांक-30/06/2011


प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सी0डी0 सहित दो हार्ड प्रतियों में सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/ महालेखाकार, बिहार, पटना/ मुख्यमंत्री साचवालय, बिहार, पटना/उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के कोषांग/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,/निदेशक, भू-अर्जन, भू-अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी,/संबंधित कोषागार पदाधिकारी,/संबंधित पदाधिकारी/ आयुक्त एवं सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का कोषांग/विभागीय प्रशाखा-3 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(विजय कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 3/स्था0रा0भू0 विविध-2006/11-**158(3)/रा0**, पटना, दिनांक-30/06/2011

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त साचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


(विजय कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव